



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 22 अगस्त, 2016 / 31 श्रावण, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय शिमला-171004

अधिसूचना

शिमला-171004, 18 अगस्त, 2016

सं०:वि०स०-विधायन-10वीं अनुसूची/1-78/08.—("भारत का संविधान") की 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष विधान सभा का निर्णय

श्री महेश्वर सिंह, जो (23-कुल्लू) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बारहवीं विधान सभा के लिए हिमाचल लोकहित पार्टी से एक मात्र विधायक चुने गए हैं, ने लिखित रूप में मुझे सूचित किया है कि उन्होंने हिमाचल

लोकहित पार्टी विधायक दल का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया है। तदनुसार प्रो० प्रेम कुमार धूमल, नेता विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने भी सूचित किया है कि हिमाचल लोकहित पार्टी विधायक दल के विलय को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने स्वीकार कर लिया है।

उपरोक्त विलय को मैंने भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4.2 के प्रावधानों के अनुसार सही पाया है और मैं इस विलय को स्वीकार करता हूँ। मैं उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा (2) के उप-पैरा (1) के उद्देश्य के लिए तात्कालिक प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में अभिज्ञात (identification) करता हूँ और दसवीं अनुसूची के पैरा (4) के उद्देश्य के लिए उनकी अब भारतीय जनता पार्टी मूल राजनैतिक पार्टी होगी। फलस्वरूप अब इस सदन में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की संख्या 27 से बढ़कर 28 हो गई है।

हस्ताक्षरित/—
अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय शिमला-171004

अधिसूचना

शिमला-171004, 19 अगस्त, 2016

सं०:वि०स०-स्था०/वि०परीक्षा/6-41/2000-IV.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या: 6-41/2000-वि०स०, दिनांक 20 अप्रैल, 2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुसरण में इस सचिवालय के पात्र ऐसे राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने अभी तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या अंशतः उत्तीर्ण की है, को सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों में निहित विभागीय परीक्षा की तिथियां दिनांक 1, 2 एवं 3 सितम्बर 2016 को निश्चित की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र० सं०	दिनांक	समय	पेपर संख्या
1.	01-09-2016	11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक	I
2.	02-09-2016	11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक	II
3.	03-09-2016	2.00 बजे (अपराह्न) से 5.00 बजे (अपराह्न) तक	III

पात्रता एवं अन्य सम्बन्धित शर्तें हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा) विनियम, 2002 के अनुरूप होंगी।

हस्ताक्षरित/—
सचिव,
हि०प्र० विधान सभा।

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 20th August, 2016*

No. EDN-A-Chha(4)-4/2013.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to award UGC placement scale of ₹4,500-7,300 /- ₹16,400-22,400/- to the following left out Principals (College Cadre) (Retired) who had completed 25 years of total service as Lecturer / Principal (College Cadre) w.e.f. the date of their superannuation from Government service, as under;

Sr. No.	Name (S/Shri)	Award of UGC placement scale
1.	Manmohan Bedi	₹16,400-22,400
2.	Subhash Chander Shandil	₹16,400-22,400
3.	Gurcharan Dass Sood	₹4,500-7,300
4.	B.R. Malhotra	₹4,500-7,300

The award of UGC placement scale is subject to fulfillment of all codal formalities and verification by the Accountant General, Himachal Pradesh. The concerned Principals (College Cadre) (Retired) shall be required to give an undertaking to the effect that he/she will refund the amount of overpayment if any, in lump-sum, pointed out by the Audit Department. This is also subject to review, if any discrepancy is found at any later stage.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Education).

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171002, 03rd August, 2016*

File No. EDN-B_B(15)-5/2015.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to create an Inspection Cadre Cell in the Education Department. The structure of the Inspection Cadre Cell will be as under:—

- (i) The Joint Director (Inspection Cadre) will head the Inspection Cadre Cell.
- (ii) In the Districts, 12 Deputy Directors (Inspection Cadre), one in each district with 20 Principals (Inspection Cadre) and 20 BPEOs (Inspection Cadre) will be distributed proportional to the number of schools in each district. The distribution of posts is suggested as under :—

Sr. No.	District	Dy. Director (inspection)	Principal (inspection)	BPEO (inspection)
1.	Kangra	1	3	3
2.	Mandi	1	2	2
3.	Shimla	1	2	2
4.	Kullu	1	2	2
5.	L&S	1	1	1
6.	Solan	1	1	1
7.	Sirmour	1	2	2
8.	Bilaspur	1	1	1
9.	Kinnaur	1	1	1
10.	Hamirpur	1	2	2
11.	Una	1	1	1
12.	Chamba	1	2	2
	Total. .	12	20	20

- (iii) The office of Joint Director (Inspection) will be provided office support in the form of One Supdt. Gr. II, One Senior Assistant, Two Junior Office Assistant (IT), One Steno typist, one peon.
- (iv) The offices of Dy. Director (Inspection) will be provided office support in the form of One Senior Assistant, one Junior Office Assistant (IT) and one Peon.
- (v) Joint Director (Inspection) and Dy. Director (Inspection) will be provided vehicle (by hiring Taxi as per policy of Government) to facilitate mobility for inspection.

Other features and functions of the Inspection Cadre Cell will be as under:—

- (i) The office of Jt. Director (Inspection Cadre) will be located in the Directorate of Higher Education.
- (ii) The focus of the inspections will be on academic performance with an emphasis on quality parameters.
- (iii) Quality of teaching, academic discipline, availability of teachers, coverage of syllabus etc. will form an integral part of these inspections.
- (iv) The inspection team will issue an inspection note to be uploaded online from the school itself pointing out specific areas of improvement. Compliance to these suggested improvements will be seen during the next inspection.
- (v) The inspections will cover all GSSS/GHS and Middle schools every year and Primary Schools twice each year.
- (vi) The inspection team will assess the school mainly based on academic evaluation of the students through written and oral evaluation.

- (vii) In addition, the Inspection team will analyze and use the following documents to evaluate the performance of schools:-
- Board Results
 - Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)
 - School Internal Evaluation
- (viii) The Inspection team will also inspect all internal and external examinations to curb copying in the Schools and markings.
- (ix) Annual Report of Inspection will be submitted by the Joint Director (Inspection Cadre) to the Government.
- (x) The entire inspection will be supervised under the overall control of Secretary/ Principal Secretary/ACS (Education).

By order,
Sd/-

Principal Secretary (Education).

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 3rd August, 2016

File No. EDN-B_B(15)-5/2015.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to upgrade one post of Deputy Director (School Cadre) to Joint Director (Inspection Cadre) in the pay band of Rs. 15600-39100+Grade Pay of Rs. 7400 in the Higher Education Department.

By order,
Sd/-

Principal Secretary (Education).

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 3rd August, 2016

File No. EDN-B_B(15)-5/2015.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to create the following posts in the Inspection Cadre Cell under Higher Education Department:—

Sl. No.	Name of post	No. of posts created	Pay Scale
2.	Dy. Director of Education (Inspection Cadre)	12	15600-39100+GP 6600

3.	Principal (Inspection Cadre)	20	15600-39100+GP 6600
4.	BPEO (Inspection Cadre)	20	10300-34800+GP 5000
5.	Supdt. Gr-II	1	10300-34800+GP 4800
6.	Sr. Asstt.	13	10300-34800+GP 4200
7.	Junior Office Asstt. (IT)	14 (Contract basis)	10300-34800+GP 3600
8.	Steno Typist	14 (Contract basis)	10300-34800+GP 3200
9.	Peon	13 (Contract basis)	4900-10680+GP 1300
	Total. .	94	

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Education).

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

पारुल कुमारी पुत्री नरेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में पारुल कुमारी पुत्री नरेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 03-04-1994 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पारुल कुमारी पुत्री नरेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

चन्द्र विजय नरयाल पुत्र जन्म सिंह, निवासी गांव व डाकघर सरोल, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में चन्द्र विजय नरयाल पुत्र जन्म सिंह, निवासी गांव व डाकघर सरोल, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त दी है कि उसके बच्चों नामक पार्थ नरयाल जन्म तिथि 01-02-1995 व निहारिका नरयाल की जन्म तिथि 07-02-1997 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि चन्द्र विजय नरयाल पुत्र जन्म सिंह, निवासी गांव व डाकघर सरोल, तहसील चम्बा के बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 29-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

राजिन्द्र कुमार पुत्र खैमती राम, निवासी गांव व डाकघर सरोल, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में राजिन्द्र कुमार पुत्र खैमती राम, निवासी गांव व डाकघर सरोल, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त दी है कि उसके पुत्र नामक साहिल ठाकुर की जन्म तिथि 01-09-1992 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजिन्द्र कुमार पुत्र खैमती राम, निवासी गांव व डाकघर सरोल, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर

सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

जान मुहम्मद पुत्र फते मुहम्मद, निवासी थल्ला, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में जान मुहम्मद पुत्र फते मुहम्मद, निवासी थल्ला, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके बच्चों नामक मुबीना जन्म तिथि 07-07-2011, जैना जन्म तिथि 01-07-2009 व छीना जन्म तिथि 01-07-2002 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जान मुहम्मद पुत्र फते मुहम्मद, निवासी थल्ला, डाकघर जडेरा, तहसील चम्बा के बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 29-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

मनीष कुमार पुत्र चैन लाल, निवासी बनगाटी, परगना धुन्धी, तहसील चम्बा।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में मनीष कुमार पुत्र चैन लाल, निवासी बनगाटी, परगना धुन्धी, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 10-02-1990 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मनीष कुमार पुत्र चैन लाल, निवासी बनगाटी, परगना धुन्धी, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

संजीव कुमार पुत्र नरेश कुमार, निवासी भाङ्गा, डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में संजीव कुमार पुत्र नरेश कुमार, निवासी भाङ्गा, डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 16-04-1997 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि संजीव कुमार पुत्र नरेश कुमार, निवासी भाङ्गा, डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

किरण कुमारी पुत्री नरेश कुमार, निवासी भाङ्गा, डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में किरण कुमारी पुत्री नरेश कुमार, निवासी भाङ्गा, डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 04-03-1995 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किरण कुमारी पुत्री नरेश कुमार, निवासी भाङ्गा, डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

जगदेई पत्नी नरेश कुमार, निवासी भाङ्गा, डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में जगदेई पत्नी नरेश कुमार, निवासी भाङ्गा, डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्रियों नामक कोमल कुमारी जन्म तिथि 24-12-2001 व काजल कुमारी जन्म तिथि 06-06-1999 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जगदेई पत्नी नरेश कुमार, निवासी भाङ्गा, डाकघर खज्जियार, तहसील चम्बा की पुत्रियों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की पुत्रियों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

मनसा राम पुत्र महेशु राम, निवासी मंगरोल, डाकघर कीडी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में मनसा राम पुत्र महेशु राम, निवासी मंगरोल, डाकघर कीडी, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके बच्चों नामक विजय कुमार जन्म तिथि 01-02-2009 व संजना जन्म तिथि 10-06-2006 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मनसा राम पुत्र महेशु राम, निवासी मंगरोल, डाकघर कीडी, तहसील चम्बा के बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

बिट्टू राम पुत्र श्री मखोली राम, निवासी आंगरी, डाकघर परीना, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में बिट्टू राम पुत्र श्री मखोली राम, निवासी आंगरी, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक कनिका की जन्म तिथि 26-06-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि बिट्टू राम पुत्र श्री मखोली राम, निवासी आंगरी, डाकघर परीणा, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत परीणा, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

सिदार्थ सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी प्राहनवी, डाकघर कोटी, तहसील चम्बा।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में सिदार्थ सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी प्राहनवी, डाकघर कोटी, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 28-03-1992 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सिदार्थ सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी प्राहनवी, डाकघर कोटी, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

कर्ण सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी प्राहनवी, डाकघर कोटी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में कर्ण सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी प्राहनवी, डाकघर कोटी, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 21-12-1989 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि कर्ण सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी प्राहनवी, डाकघर कोटी, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा

अयूब पुत्र सवारिया, निवासी कुरील, डाकघर कीडी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में अयूब पुत्र सवारिया, निवासी कुरील, डाकघर कीडी, तहसील चम्बा ने एक दरखास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके बच्चों नामक सलीम जन्म तिथि 26-09-2011, मरीद जन्म तिथि 18-04-2013 व शबीर जन्म तिथि 11-01-2015 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अयूब पुत्र सवारिया, निवासी कुरील, डाकघर कीडी, तहसील चम्बा के बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से

सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 29-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार भोरंज,
जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

अवतार सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द, गांव बस्सी, डा0 भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
प्रार्थी

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR(B&D)2014-13469 दिनांक 14-7-2016 अनुसार अवतार सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द, गांव बस्सी, डा0 भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसकी पुत्री टिवंकल ठाकुर का जन्म दिनांक 26-03-1992 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत सिकांदर के रिकार्ड में उक्त जन्म दिनांक को दर्ज न करवा सका है तथा अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि टिवंकल ठाकुर की जन्म तिथि 26-03-1992 को ग्राम पंचायत सिकांदर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2016 को या इससे पूर्व असागतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 30-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कर्म चन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice Under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Smt. Rita Devi w/o Shri Bhupender Singh

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Rita Devi w/o Shri Bhupender Singh, resident of Village Deoli, P.O. Poeg, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth of her son Piyush could not be entered in the Panchayat record of Gram Panchayat Kungash owing to some inevitable reasons.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entry of birth of the son of the applicant in the Panchayat record of Gram Panchayat Kungash, he/she/they may file his/her/their objection on or before 05-09-2016 before this court. In case of non-filing of any objection the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 2nd day of August, 2016.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.*

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice Under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Shri Rinku s/o Shri Khem Dass

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Shri Rinku s/o Shri Khem Dass, resident of Village Bhares, P.O. Showad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth of his son Aryan Thakur could not be entered in the Panchayat record of Gram Panchayat Ropa owing to some inevitable reasons.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entry of birth of the son of the applicant in the Panchayat record of Gram Panchayat Ropa, he/she/they may file his/her/their objection on or before 05-09-2016 before this court. In case of non-filing of any objection the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 2nd day of August, 2016.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.*

In the Court of Shri Rahul Chauhan, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Joginder Nagar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :—

1. Sanjeev Kumar s/o Shri Devi Singh Thakur, V.P.O. Drahal, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H. P.)

2. Urmila d/o Shri Deep Ram, at present wife of Sanjeev Kumar, V.P.O. Drahal, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondents.

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

In the above noted matter Shri Sanjeev Kumar and Urmila have filed an application on dated 19-07-2016 along with affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 26-03-2015 at Temple Rishi Markendeshawar Dham at Village Jogiban, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) according to the Custom & ritual of Hindu religion since from the dated of marriage they are living together as husband & wife, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public and their parents are hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally in writing or their legal advisor before this court on dated 05-09-2016. The objection received after 05-09-2016 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today 04-08-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAHUL CHAUHAN (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Joginder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh .

In the Court of Shri Rahul Chauhan, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Joginder Nagar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :—

1. Chtop Tashi s/o Shri Sinam Sinon, r/o Tibetan Children's Village School Chauntra, P.O. Chauntra, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H. P.)

2. Dawa Chodon d/o Shri Passang, at present wife of Chtop Tashi, r/o Tibetan Children's Village School Chauntra, P.O. Chauntra, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondents.

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

In the above noted matter Shri Chtop Tashi and Dawa Chodon have filed an application on dated 02-07-2016 along with affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 17-08-2009 at Tibetan

Children's Village School Chauntra, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.). According to the Custom & ritual of Buddhists religion since from the dated of marriage they are living together as husband & wife, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public and their parents are hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally in writing or their legal advisor before this court on dated 05-09-2016. The objection received after 05-09-2016 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today 04-08-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAHUL CHAUHAN (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Joginder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh .

In the Court of Shri Rahul Chauhan, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Joginder Nagar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :—

1. Phuntsok s/o Shri Orgyan Chogyal, r/o Tibetan Children's Village School Chauntra, P.O. Chauntra, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H. P.)

2. Tenzin Tsering d/o Shri Dhondup Chopell, at present wife of Phuntsok, r/o Tibetan Children's Village School Chauntra, P. O. Chauntra, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H. P.)
.. Applicants.

Versus

General Public

.. Respondents.

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

In the above noted matter Shri Phuntsok and Tenzin Tsering have filed an application on dated 02-07-2016 along with affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 07-04-2013 at Tibetan Children's Village School Chauntra, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.). According to the Custom & ritual of Buddhists religion since from the dated of marriage they are living together as husband & wife, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public and their parents are hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally in writing or their legal advisor before this court on dated 05-09-2016. The objection received after 05-09-2016 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today 04-08-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAHUL CHAUHAN (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Joginder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh .

In the Court of Shri Rahul Chauhan, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Joginder Nagar, District Mandi, (H. P.)

In the matter of :—

1. Namgyal Tsering s/o Shri Gompo, r/o Tibetan Children's Village School Chauntra,
P. O. Chauntra, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H. P.)

2. Chime Dolma d/o Shri Rhinor at present wife of Namgyal Tsering, r/o Tibetan
Children's Village School Chauntra, P. O. Chauntra, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H. P.)
. . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondents.

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act,
1954.

In the above noted matter Shri Namgyal Tsering and Chime Dolma have filed an application on dated 02-07-2016 along with affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 06-03-1987 at Tibetan Children's Village School Chauntra, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.). According to the Custom & ritual of Buddhists religion since from the dated of marriage they are living together as husband & wife, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public and their parents are hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally in writing or their legal advisor before this court on dated 05-09-2016. The objection received after 05-09-2016 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today 04-08-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAHUL CHAUHAN (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Joginder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh .

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तह0 पधर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा 37(2)

तारीख पेशी : 29-09-2016

गुरदयाल पुत्र श्री तलवे राम, निवासी मलवाडा, डा0 बथेरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

... प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

... प्रत्यार्थी ।

इश्तहार

आवेदन पत्र:—जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक गुरदयाल पुत्र श्री तलवे राम, निवासी मलवाडा, डा0 बथेरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में गुरदयाल नाम दर्ज है। जो सही नाम दर्ज है जबकि मुहाल बथेरी/514 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम खुब राम दर्ज है। जो गलत दर्ज हुआ है। तथा प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम खुब राम के स्थान पर खुब राम उर्फ गुरदयाल नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-09-2016 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 09-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री नितिन चौहान पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह, निवासी कायना, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0
.. प्रार्थी

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री नितिन चौहान पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह, निवासी कायना, तहसील जुब्बल, जिला शिमला का प्रार्थना-पत्र उप-मण्डल दण्डाधिकारी रोहडू, जिला शिमला के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका जन्म ग्राम कायना, तहसील जुब्बल में दिनांक 13-8-1995 को हुआ परन्तु प्रार्थी के नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोट कायना के अभिलेख में नहीं किया गया है जिसके कारण प्रार्थी को जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है प्रार्थी अब अपने नाम तथा जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोट कायना के रिकार्ड में करवाना चाहता है जिसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि के पंजीकरण के बारे कोई भी आपत्ति व एतराज हो तो वह इस कार्यालय में दिनांक 30-8-2016 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी एतराज न आने की सूरत में ग्राम पंचायत कोट कायना को प्रार्थी के नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 4-8-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,
District Shimla, H.P.**

In the matter of :

1. Mr. Jai Prakash Singh s/o Shri Jagdish Singh, aged 33 years, r/o Village Punan, P.O. & Sub-Tehsil Nankhari, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P.
2. Mrs. Sumita Devi d/o Shri Keshav Ram, aged 24 years, r/o Village Thaili, P.O. Thaili-Chakti, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondents.*

Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Mr. Jai Prakash Singh s/o Shri Jagdish Singh, aged 33 years, r/o Village Punan, P.O. & Sub-Tehsil Nankhari, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. and Mrs. Sumita Devi d/o Shri Keshav Ram, aged 24 years, r/o Village Thaili, P.O. Thaili-Chakti, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. have filed an application along with affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-07-2016 at Punan, P.O. & Sub-Tehsil Nankhari, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 31-08-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of July, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,
District Shimla, H.P.**

In the matter of :

1. Raman Kumar son of Late Shri Devki Nand, aged 34 years, r/o Village Totoo, P.O. Delath, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P.
2. Cheng, Wan Hsuan d/o Shri Che-Liang Cheng, aged 25 years, r/o 5F, No.34, LN, 109, Sec-2, Sanmin, Road District Banciao, New Taipei City, Taiwan Republic of China . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondents.*

Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Raman Kumar son of Late Shri Devki Nand, aged 34 years, r/o Village Totoo, P.O. Delath, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. and Mrs Cheng, Wan Hsuan d/o Shri Che-Liang Cheng, aged 25 years, r/o 5F, No.34, LN, 109, Sec-2, Sanmin, Road District Banciao, New Taipei City, Taiwan Republic of China have filed an application along with affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-07-2016 at Rampur, District Shimla, H.P. and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 31-08-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of July, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मीना राम, निवासी ग्राम द्राबिल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मीना राम, निवासी ग्राम द्राबिल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में एक दरखास्त गुजारी है कि उसका नाम ग्राम पंचायत खूड द्राबिल के रिकार्ड में राजेन्द्र सिंह दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा जार द्राबिल, पटवार वृत्त जरग में राजू दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर प्रस्तुत किया है। जिसे वह अब राजस्व रिकार्ड मौजा जार द्राबिल, पटवार वृत्त जरग में राजेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम द्राबिल व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजेन्द्र सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा जार द्राबिल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो दिनांक 05-09-2016 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 04-08-2016 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

श्री बाबू राम पुत्र श्री रती राम, निवासी ग्राम धार टारन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बाबू राम पुत्र श्री रती राम, निवासी ग्राम धार टारन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में एक दरखास्त गुजारी है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम आदित्य चौहान, जन्म तिथि 30-08-2013 ग्राम पंचायत खालाक्यार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फीब्यान, सचिव ग्राम पंचायत खालाक्यार एवम् जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवम् मृत्यु एवम् मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत की है जिसे प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खालाक्यार के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम धार टारन व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पुत्र का नाम आदित्य चौहान जन्म तिथि 30-08-2013 ग्राम पंचायत खालाक्यार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो दिनांक 05-09-2016 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 05-08-2016 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।